TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF TRADE & TAXES
VYAPAR BHAWAN: I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

No. 5(54)/Policy/VAT/2013/PF/ 246-256 **Dated:** 01/07/2026

NOTIFICATION

Whereas, the Ministry of External Affairs, Government of India, in accordance with the principle of reciprocity has requested the government of National Capital Territory of Delhi *to grant facility of VAT exemption/refund to the Embassy of the High Commission of Jamaica in New Delhi*, on the payment of all the taxable goods for official use and for personal use of its diplomats vide their letter NO.-D-II/451/12(03)/2025 Dated 21 November 2025.

2. And, whereas, I, Nikhil Kumar, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, am of the opinion that it is expedient in the public interest to do so.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), I hereby make the following amendments in the Sixth Schedule of the said Act namely:

AMENDMENTS

4. In the Sixth Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), in Entry No.1, in Part-A- List of Embassies, after Sl. No. A-151, the following shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Registration No.	Name of the Embassy
A-152	07987227930	HIGH COMMISSION OF JAMAICA

5. The refund of Value Added Tax will be subject to the condition that the minimum invoice value for each invoice would be Rs. 5000/-.

This notification shall come into force with effect from 21.11.2025.

(Nikhil Kumar)
Commissioner, Value Added Tax

498/EDP/26
03/07/26

No. 5(54)/Policy/VAT/2013/PF/ 246-256 **Dated:** 01/07/26

1. PS to Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi, Rajniwas, Delhi-54.
2. Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
3. Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi with one spare copy for publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.

6/7/26
AD.-III
TO (R.J.)

4. All Special/Addl./Joint Commissioners, Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Protocol Officer-II, M/o External Affairs, Protocol-II Section, Room No. 1095, B-Ving, Jawahar Lal Nehru Bhawan, Janpath, New Delhi-110001.
6. Registrar, Sales Tax Appellate Tribunal, Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
7. President, Sales Tax Bar Association (Regd.), Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
8. Dy. Director (EDP), Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. PS to the Commissioner, VAT, Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
10. Email ID- gadegazette.delhi.gov.in (copy on Hindi and English scanned and in word form)
11. Guard File.

(Avinash Kumar Singh)
Assistant Commissioner (P&R)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग–IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
व्यापार एवं कर विभाग
व्यापार भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली–110002

फा0सं0 5(54)/नीति/मूल्य संवर्धित कर/2013/पीएफ/246-256 दिनांक :01/07/2026

अधिसूचना

जबकि, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 21 नवंबर 2025 के अपने पत्र संख्या–डी–II/451/12(03)/2025 के माध्यम से पारस्परिकता के सिद्धांत के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से नई दिल्ली में स्थित जमैका उच्चायोग के दूतावास को आधिकारिक उपयोग और उसके राजनयिकों के व्यक्तिगत उपयोग हेतु सभी कर योग्य वस्तुओं के भुगतान पर मूल्य संवर्धित कर में छूट/प्रतिदाय की सुविधा प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

2. और जबकि, मैं, निखिल कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, यह मत रखता हूं कि ऐसा करना जनहित में समीचीन है।

3. अब, इसलिए दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 103 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता हूँ, अर्थात्:–

संशोधन

4. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) के साथ संलग्न छठी अनुसूची में, भाग–क–दूतावासों की सूची की प्रविष्टि संख्या 1 के क्रम संख्या ए–151 के पश्चात् निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

क्रम संख्या	**पंजीकरण संख्या**	**दूतावास का नाम**
ए–152	07987227930	जमैका उच्चायोग

5. मूल्य संवर्धित कर का प्रतिदाय इस शर्त के अधीन होगा कि प्रत्येक बीजक के लिए न्यूनतम बीजक मूल्य 5000/– रुपये होगा।

यह अधिसूचना दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी होगी।

(हस्ताक्षर)
(निखिल कुमार)
आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

फा0सं0 5(54)/नीति/मूल्य संवर्धित कर/2013/पीएफ/246-256 दिनांक : 01/07/26
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. नि0स0, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली, राजनिवास, दिल्ली–54
2. सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

3. सचिव (सा0प्रशा0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र भाग– IV (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
4. समस्त विशेष / अपर / संयुक्त आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
5. प्रोटोकॉल अधिकारी–II, विदेश मंत्रालय, प्रोटोकॉल– II अनुभाग, कमरा संख्या 1095, बी–विंग, जवाहरलाल नेहरू भवन, जनपथ, नई दिल्ली–110001
6. पंजीयक, बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, बिक्री कर बार एसोसिएशन (पंजीकृत), व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
8. उप निदेशक (ईडीपी), व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
9. नि0स0, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. ईमेल आईडी–gadegazette.delhi.gov.in (हिंदी और अंग्रेजी में स्कैन की गई तथा वर्ड फॉर्मेट में प्रति)
11. गार्ड फाइल।

अविनाश

(अविनाश कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त (नीति एवं अनुसंधान)